Bryon / OBSERVATION

विविध सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

the Astront affection as total Assess of Bother I hard formal

RAMESH RAJU SANGARAJU

on an arm / Name of Mother

MADHAVI RUDRARAJU

पति या परनी का नाम / Name of Spouse

पना / Address

CHENDRAJUGARIPALLI, MADITHADU

SUNDUPPLI, YSR DISTRICT

PIN:516129, ANDHRA PRADESH, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान 🗸 Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाईल मं. / File No.

HY5069612591716

MH D. P

## पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटनम धारतीय विकटा केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

## चेलावनी

चा पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अध्विकारी में इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी आधित है जनका तांत अनुमालन किया जाए।

का पामपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके हाज प्राप्तकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबटल या किइंडि को बानी चाहिए।

कनचोट पुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में नवने किटनम् पासपोट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट आरक विदेश में है तो निकृतन प्रकार किटन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पृष्टनात्र के बन्द ही किटन पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

## REGISTRATION

DDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER
THE MESELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

## CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF THE ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A DESPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDISCIPLINARY OF THE AUTHORITY REGARDER, SHOULD BE COMPLIED WITH THE COMPLIED WITH THE COMPLETE WITH THE WITH THE

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY
SET THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER
LE OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE
ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE BUILDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORIZED INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST NEAR ISSUMPOST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY APTER EXHALTS INQUIRES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.